

## डिकी व मुकदमें इबादाई

(अध्याय 20 नियम 6-7 जादी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- मीनू वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:- 209/2018

कर्मजीत कौर पत्नी प्रभूदयाल पुत्री पूर्णराम जाति बाजीगर निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

:- वादीया:-

:- बनाम:-

1. सलो देवी पत्नी पूर्णराम जाति बाजीगर निवासी नूकेरां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. रामस्वरूप | पि० पूर्णराम जाति बाजीगर निवासी नूकेरां तहसील
3. लक्ष्मणराम | संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. सीताराम |

:-प्रतिवादीगण:-

आज यह वाद मुझ मीनू वर्मा आर०ए०एस सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी टिब्बी के समक्ष श्री संजय शर्मा अधिवक्ता वादी व श्री महावीर वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण की हाजिरी में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वादीया का वाद डिकी किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादीया, प्रतिवादीया स० 1 सलो देवी पत्नी पूर्णराम के नाम दर्ज आराजी चक न० 2 डीपीएम जमांबदी सम्वत 2075 से 78 के खाता स० 151/123 के मुश्तरका खाता की आराजी 2.7830 हे० में 1180/2783 हि० अनकमाण्ड मय गैर मुमकीन रास्ता खाला की खातेदार काश्तकार घोषित कि जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त खाता से सलो देवी पत्नी पूर्णराम का नाम कलमजन किया जाता है। उक्त आराजी पर बैंक श्रण की स्थिती में रहन मुक्त होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....  
निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालानां आज की तारीख वसुलयाबी तक.....अदा करे।

डिकी आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखंड (अधिवक्ता) एवं  
सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी  
टिब्बी